न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0ओ0), जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 :- 55/2019

RCMS Id-2019/00090

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती शकुंतलादेवी पत्नि श्री गोपाराम जाति प्रजापति निवासी कुम्हारों का वास हनुमानशाला के पास जालोर 2. श्री पोसाराम पुत्र गोपाराम जाति प्रजापत निवासी कुम्हारों का वास हनुमानशाला के पास जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति -
1. **श्री केशव व्यास (प्रार्थी सं. 1, 2)**
2. **राजपेरोकार**

निर्णय

दिनांक :- 11.12.2019

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश हुआ। प्रार्थना पत्र का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि सरहद मौजा जालोर बी के वर्तमान खसरा नं. 5950 रकबा 2.44 हे0 किस्म बारानी सोयम गत खसरा नं0 2432 प्रार्थीगण की पैतृक आराजी आई हुई है। प्रार्थी सं0 1 श्रीमति शकुंतलादेवी के ससुर व प्रार्थी सं0 2 श्री पोसाराम के दादा श्री अचलाराम का नाम उक्त जमाबंदी में दर्ज है तथा म्यूटेशन भी उनके नाम का भरा हुआ है। जमाबंदी संवत् 2041-44 तक उक्त आराजी की जमाबंदी में प्रार्थी सं0 2 श्री पोसाराम के पडदादा का नाम फूसा जी चल रहा था। जो बाद में लिपिकीय त्रुटिवश संवत् 2055 से 2058 में फूलाजी के स्थान पर पूनमाराम चल रहा है। प्रार्थी सं0 1 के पति व प्रार्थी सं0 2 के पिता गोपाराम की मृत्यु दिनांक 24.09.2018 को हुई थी। प्रार्थी सं0 1 के ससुर व प्रार्थी सं0 2 के दादा अचलाराम की मृत्यु दिनांक 08.12.1999 एवं अचलाराम के पिता फूसाराम की भी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा रेकर्ड में प्रार्थी सं0 1 के दादा ससुर व प्रार्थी सं0 2 के पडदादा फूसाराम का नाम जमाबंदी में जरिये रेकर्ड दूरूस्ती के पुनमाराम की जगह फूलाराम राजस्व रेकर्ड में दूरूस्ती की जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी सं0 1 को तहसीलदार जालोर के जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार जालोर से रिपोर्ट/जवाब तलब हुआ।

तहसीलदार जालोर के पत्रांक/भू0अ0/2019/5144 दिनांक 17.10.2019 की जांच रिपोर्टानुसार एवं प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों के संबंध में गत व हाल रिकार्ड की मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार जालोर की रिपोर्ट के आधार पर मौजा जालोर बी के पुराने खसरा नम्बर 2432 जो राजस्व जमाबंदी संवत् 2041-44 के खाता संख्या 2 खातेदार अचलाराम वल्द फूसा कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार के नाम एकल खातेदारी दर्ज थी। म्यूटेशन अचला वल्द फूसा कुम्हार के नाम भरा हुआ है। पुराने राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत् 2041-44 तक फूसा ही चल रहा था। द्वितीय सेटलमेंट का राजस्व अभिलेख मिसल बंदोबस्त में उक्त खातेदार के पिता का नाम फूसा के बजाय वल्दियत में अचलाराम वल्द पुनमाराम दर्ज किया जो प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण व क्लेरिकल एरर की श्रेणी में आता है। जिसे धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत मौजा जालोर बी के हाल खसरा नं0 5950 रकबा 2.44 हे0 किस्म बारानी सोयम में अचला के पिता का नाम फूसा कौम कुम्हार साकिन जालोर को दूरस्त किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जालोर बी के खसरा नं0 5950 रकबा 2.44 हे0 किस्म बारानी सोयम में प्रार्थीगण सं0 1 शकुंतलादेवी के ससुर व प्रार्थीगण सं0 2 के पोसाराम के दादा अचलाराम पुत्र पुनमाराम की बजाय शुद्ध नाम अचला पुत्र फूसा राजस्व रेकर्ड में दूरूस्ती की जाये। तद्नुसार तहसीलदार जालोर को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में दूरस्त करे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 11/12/19 को सुनाया गया।

Sd/- 11/12/19

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) (जालोर)

Decision A-6 2019

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2020.02.07 13:05:20 IST
Reason: SelfAttested